छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री **दिलीप रावसाहेब देशमुख**

प्रथम अपील क्र. 140/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी	:	चेतन भारती, आयु लगभग 46 वर्ष पिता श्री
प्रतिवादी		सुकलचंद भरथरी, , आरक्षक, निवासी ममता
		नगर, तुलसीपुर, तहसील व जिला:राजनांदगाव
		(छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी	:	प्रेमलाल देवांगन, आयु लगभग 43 वर्ष, पिता
वादी		श्री बाबूलाल देवांगन, स्वतत्वधारी-देवांगन
		किराना दुकान, तुलसीपुर, तहसील व जिला
		राजनांदगांव (छ.ग.)

अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से : श्री अभिषेक वर्मा।

प्रत्यर्थी/वादी की ओर से : श्री वी.के. शर्मा।

<u>निर्णय</u>

(10/04/2007 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. यह अपील व्यवहार वाद संख्या 48-अ/2003 में प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा पारित दिनांक 3.7.2006 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध है, जिसके तहत प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में दि-नांक 3.9.2002 के संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री देने से इनकार करते हुए, प्रत्यर्थी/वादी को 70,000/- रुपए की अग्रिम राशि वापस करने का आदेश दिया गया था, जिसमें 6,300/- रुपए का ब्याज और प्रतिवादी द्वारा वादी से उधार पर खरीदे गए 3,700/- रुपए के सामान की लागत शा-मिल थी।

2. प्रत्यर्थी/वादी ने प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त मकान की बिक्री के लिए दिनांक 3.9.2002 के संविदा के वि-निर्दिष्ट पालन हेतु व्यवहार वाद संख्या 48-अ, वर्ष 2003 दायर किया। यह दावा किया गया गया कि 3.9.2002 को प्रतिवादी ने वादी के वादग्रस्त मकान की बिक्री पर सहमति व्यक्त की और 60,000/- रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त की। प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी द्वारा 60,000/- रुपये की प्राप्ति की पुष्टि करते

हुए इकरारनामा तैयार किया गया। समझौते में यह उल्लेख किया गया था कि यदि अपीलार्थी/प्रतिवादी अगले 15 महीनों के भीतर धन की व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो वह प्रतिवादी/वादी को 60,000/- रुपये की राशि वापस कर देगा। वादी ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के डिक्री के लिए प्रार्थना की और वैकल्पिक अनुतोष के रूप में 60,000/- रुपये की अग्रिम राशि को 6,300/- रुपये के ब्याज के साथ वापस करने और प्रतिवादी द्वारा वादी की दुकान से उधार पर खरीदी गई वस्तुओं के लिए 3,700/- रुपये की राशि वापस करने का अनुरोध किया।

3. अपीलार्थी/प्रतिवादी ने दावे को पूरी तरह से नकारते हुए तर्क दिया कि उसने प्रतिवादी/वादी से कोई राशि प्राप्त नहीं की और न ही कोई इकरारनामा निष्पादित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्णतः अखंडित साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रतिवादी द्वारा 3.9.2002 को इकरारनामा निष्पादित करना और प्रतिवादी द्वारा वादी से 60,000/- रुपये प्राप्त करना, तथा प्रतिवादी द्वारा वादी से 3,700/- रुपये मूल्य की वस्तुओं की उधार खरीद भी सिद्ध हुई है। हालाँकि, 3.9.2002 के समझौते में इस स्पष्ट प्रावधान के आधार पर कि यदि प्रतिवादी 15 महीनों के भीतर धन की व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो वह वादी को 60,000/- रुपये की राशि वापस कर देगा, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि पक्षों के बीच लेन-देन एक ऋण का लेन देन था और इस आधार पर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जबकि वादी के पक्ष में 60,000 रुपये की राशि, 6,300 रुपये ब्याज सहित तथा प्रतिवादी द्वारा उधार पर खरीदी गई वस्तुओं की लागत के रूप में 3,700 रुपये की राशि वापस करने का आदेश दिया।

5. प्रत्यर्थी/वादी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की।

6. इस अपील में अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया एकमात्र आधार यह है कि एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि प्रतिवादी ने 3.9.2002 को 70,000/- रुपये के प्रतिफल पर वादी को वादग्रस्त मकान बिक्री करने पर सहमति नहीं जताई थी और पक्षों के बीच लेन-देन एक ऋण का लेनदेन था, तो उसके पास प्रतिवादी से वादी को 70,000/- रुपये वापस करने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने **सुरेश चं-द्र बनाम सत्य नारायण 2004 (1) एम.पी.एच.टी 238,** पर भरोसा करते हुए आक्षेपित निर्णय और डिक्री के समर्थन में तर्क दिया, जिसमें समान परिस्थितियों में वादी द्वारा प्रतिवादी को दिए गए अग्रिम भुगतान की वापसी को उचित ठहराया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रतिद्वंदी तर्कों को सुनने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि यह अपील सारहीन है और खारिज किए जाने योग्य है। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 3.9.2002 के संविदा के निष्पादन और 60,000/- रुपये की राशि प्राप्त करने तथा 3,700/- रुपये मूल्य की वस्तुओं की उधार खरीद के सं-बंध में प्रस्तुत साक्ष्य पूरी तरह से अखंडित थे क्योंकि प्रतिवादी द्वारा गवाहों से प्रति परीक्षण नहीं किया गया था। इकरारनामा प्र.पी.1 का निष्पादन प्रतिवादी द्वारा 60,000/- रुपये तथा 3,700/- रुपये मूल्य का माल उधार प्राप्त करना इस प्रकार पूर्णतः सिद्ध होता है। विचारण न्यायालय द्वारा संविदा के विनि-र्दिष्ट पालन को अस्वीकार करने में एकमात्र तथ्य, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, वह था इकरारनामा के नीचे दिया गया पृष्ठांकन, जो इस प्रकार है:

> ***"मेरे द्वारा 15 माह का समय लिया जा रहा है ताकि, इस अवधि***
>
> ***में मैं यदि रकम की व्यवस्था कर लिया तो यह 60,000/-रू.***
>
> ***की रकम प्रस्तावित क्रेता को वापस कर दी जावेंगी तथा यह***
>
> ***इकरारनामा केवल रकम की सीमा तक प्रभावशील होगा ।"***

8. विचारण न्यायालय ने माना कि उपरोक्त नोट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वास्तव में वादी द्वारा प्रतिवादी को 60,000/- रुपये की राशि अग्रिम दी गई थी जिसे 15 महीने की अवधि के भीतर वापस किया जाना था और वास्तव में वादग्रस्त मकान की बिक्री के लिए कोई समझौता नहीं था। इस तरह, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी ने समझौता प्र.पी.1 निष्पादित किया था, जिसमें 70,000/- रुपये में वादग्रस्त मकान की बिक्री का विवरण था और उसने वादी से 60,000/- रुपये की राशि प्राप्त की थी और इसके अलावा प्रतिवादी ने वादी से 3,700/- रुपये मूल्य की वस्तुएं भी उधार पर खरीदी थीं, प्र.पी.1 के फुटनोट में विवरण के आधार पर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को देने से इन-कार करना और केवल 60,000/- रुपये के साथ-साथ दावा किए गए ब्याज अर्थात 6,300/- रुपये और वादी द्वारा उधार पर खरीदी गई वस्तुओं की लागत अर्थात 3,700/- रुपये, कुल 70,000/- रुपये की वापसी के लिए एक डिक्री प्रदान करना पूरी तरह से उचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 इस प्रकार है:

20. संविदा का प्रतिस्थापित पालन.-

(1) **भारतीय संविदा अधिनियम, 1872** (1872 का 9) में, अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापक पर प्रति-कूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय, जिस पर पक्षकार सहमत हैं, जहां संविदा किसी पक्ष-कार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है, वहां वह पक्षकार, जो ऐसे भंग से पी-ड़ित होता है, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित

पालन का और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत, व्ययनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का, विकल्प रखेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे पक्षकार ने, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को तीस दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस, उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए, जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, नहीं दे देता हो और उसका ऐसा करने से इन्कार करने या ऐसा करने में असफल रहने पर वह उसका पालन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा कराएगा :

परंतु वह पक्षकार, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, उपधारा (1) के अधीन व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक उसने किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन न करा लिया हो ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा (1) के अधीन नोटिस देने के पश्चात् किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वह भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) इस धारा की कोई बात उस पक्षकार को, जो संविदा के भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगी।

10. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 22 इस प्रकार है:

22. कब्जे विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय, इत्यादि के लिए अनुतोष के अनुदान की शक्ति ---(1) **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** (1908 का 5) मे किसी तत्प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट

होते हुए भी, स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद लाने वाला कोई व्यक्ति, समुचित मामले में -

(क) ऐसे पालन के अतिरिक्त सम्पत्ति का कब्जा या विभाजन और पृथक् कब्जा मांग सकेगा ; या

(ख) उस दशा में जिसमें कि उसका विनिर्दिष्ट पालन का दावा नामंजूर कर दिया गया हो कोई भी अन्य अनुतोष, जिसका वह हकदार हो और जिसके अन्तर्गत उस द्वारा दिए गए किसी अग्रिम धन या निक्षेप का प्रतिदाय भी आता है, मांग सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई भी अनुतोष न्यायालय द्वारा अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्टत: दावा न किया गया हो :

परन्तु जहां कि वादपत्र में वादी ने किसी ऐसे अनुतोष का दावा न किया हो वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रकम में वादी को वादपत्र में ऐसे अनुतोष का दावा अन्तर्गत करने के लिए संशोधन करने की अनुज्ञा ऐसे निबन्धनों पर देगा जैसे न्यायसंगत हों ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति धारा 21 के अधीन प्रतिकर देने की उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

11. एक बार जब प्रतिवादी द्वारा इकरारनामा का निष्पादन और वादी से अग्रिम के रूप में 60,000/- रुपये की राशि प्राप्त होना सिद्ध हो गया, तो न्यायालय को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 22(1)(ख) के तहत वादी द्वारा प्रतिवादी को भुगतान की गई धनराशि वापस करने का आदेश देने का अधिकार था। यह ध्यान देने योग्य है कि वादी ने वादपत्र में प्रतिवादी से 70,000/- रुपये के वापसी के लिए भी प्रार्थना की थी। इस प्रकार, वादी को दूसरा वाद लाने के लिए मजबूर करने के बजाय, विचारण न्यायालय को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 22 के उप-खंड (2) के तहत दस्तावेज प्रदर्श

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पी.1 के निष्पादन के समय वादी द्वारा प्रतिवादी को भुगतान की गई राशि को वापस और वादी से उधार पर खरीदी गई वस्तुओं के 3,700/- रुपये के लागत का अनुतोष देने का अधिकार था।

12. परिणामस्वरूप, इस अपील में कोई सार नहीं है, तदानुसार इसे खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu